सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 360 राँची, मंगलवार, 2 ज्येष्ठ, 1938 (श०)
23 मई, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

28 फरवरी, 2017

संख्या:- 5/आरोप-1-28/2015 का.-1774-- श्री उदयकांत पाठक, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-579/03, गृह जिला-खगड़िया) तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद, जो धनबाद थाना काण्ड संख्या- 657/15, दिनांक 23 जून, 2015 धारा-406/420/409/467/468/471/120बी०/34 भा०द०वि० एवं अनु० जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा-3 (I)(V) एवं 4 अन्तर्गत प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं एवं जिन्हें दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को गिरफ्तार किये जाने के आलोक में असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49क-(2)(क) के तहत् विभागीय आदेश सं०- 9688, दिनांक 5 नवम्बर, 2015 द्वारा निलंबित किया गया है, को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP (Crl.) No. 6665/2016-उदयकांत पाठक बनाम झारखण्ड राज्य वाद में दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 को पारित न्यायादेश में कतिपय शर्तों के अधीन बंधपत्र पर मुक्त किया

गया है । तत्पश्चात् श्री पाठक ने निर्धारित मुख्यालय आयुक्त का कार्यालय, उ०छो० प्रमंडल, हजारीबाग में दिनांक 12 नवम्बर, 2016 को योगदान समर्पित किये हैं ।

2. अतः झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(3)(i) के तहत् मानित निलंबनावधि समाप्त समझते हुए श्री पाठक द्वारा योगदान दिये जाने की तिथि 12 नवम्बर, 2016 से योगदान स्वीकृत किया जाता है ।

3. उक्त आरोपों की गंभीरता के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) तथा (ग) के तहत् दिनांक 12 नवम्बर, 2016 के प्रभाव से अगले आदेश तक पुनः निलंबित किया जाता है ।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पूर्ववत् आयुक्त का कार्यालय, उ०छो० प्रमंडल, हजारीबाग रहेगा ।

4. श्री पाठक को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं इनके निलंबन अवधि का विनियमन इनके विरूद्ध दर्ज थाना कांड के फलाफल के आधार पर निर्धारित किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 360--100